दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 44)

[9 दिसंबर, 2019]

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) "विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र" से नियत दिन के ठीक पूर्व यथाविद्यमान दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "विधि" के अन्तर्गत विद्यमान संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत है।

भाग 2

संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण।

3. नियत दिन से ही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र नाम से ज्ञात नए संघ राज्यक्षेत्र का गठन किया जाएगा, जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के निम्नलिखित क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव,

और तत्पश्चात् उक्त संघ राज्यक्षेत्र विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भाग नहीं रहेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 240 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) में,—

(i) प्रविष्टि (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव";

(ii) प्रविष्टि (घ) का लोप किया जाएगा।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

5. नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 4 और प्रविष्टि 5 तथा उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

नाम	विस्तार
"4. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव"	वह राज्यक्षेत्र, जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था तथा वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं।"। 1987 का 18

भाग 3

लोक सभा में प्रतिनिधित्व

लोक सभा में स्थानों का आबंटन।

6. नियत दिन से ही, लोक सभा में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए दो स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी। 1950 का 43

आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।

7. (1) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का जो नियत दिन को धारा 5 के उपबंधों के आधार पर सीमाओं में परिवर्तन के साथ या उसके बिना आबंटित किया जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का प्रत्येक आसीन सदस्य, उस निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन के लिए निर्वाचित समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में है। 1950 का 43

(2) ऐसे सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

भाग 4

उच्च न्यायालय

बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार।

8. नियत दिन से ही, बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र तक रहेगा।

भाग 5

आस्तियां और दायित्व

भूमि और माल।

9. इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नियत दिन के ठीक पूर्व धारित सभी भूमि और सभी सामान, वस्तुएं तथा अन्य माल उस दिन से ही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भूमि" शब्द के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर संपत्ति और ऐसी संपत्ति में या उस पर के कोई अधिकार सम्मिलित हैं और "माल" शब्द के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं हैं।

नकद अतिशेष।

10. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के सभी खजानों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में नियत दिन के ठीक पूर्व कुल नकद अतिशेष का दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में विलयन हो जाएगा।

कर के बकाए।

11. (1) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित किसी संपत्ति पर किसी कर या शुल्क के बकायों (जिसके अंतर्गत भू-राजस्व के बकाए भी हैं) की वसूली का अधिकार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित रहेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर या शुल्क से भिन्न, किसी कर या शुल्क के बकायों की वसूली का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

उधार और अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार।

12. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन के पूर्व दिए गए किन्हीं उधारों या अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

संघ राज्यक्षेत्र उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व।

13. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के किन्हीं वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित आस्तियां और दायित्व, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे।

आधिक्य में वसूल किए गए करों का प्रतिदाय।

14. संघ का—

(क) संपत्ति पर आधिक्य में वसूल किए गए किसी कर या शुल्क के जिसके अंतर्गत भू-राजस्व भी है, प्रतिदाय करने का दायित्व दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा;

(ख) आधिक्य में वसूल किए गए किसी अन्य कर या शुल्क के, प्रतिदाय करने का दायित्व दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

भाग 6

सेवाओं के संबंध में उपबंध

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध।

15. अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के काडर में थे, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र की उसी सेवा के काडर में बने रहेंगे, जिसमें वे नियत दिन के पूर्व आबंटित किए जाते हैं।

अन्य सेवाओं के संबंध में उपबंध।

16. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र में, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है और सेवा कर रहा है, उस दिन से ही,—

(क) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करता रहेगा, और

(ख) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने के लिए अंतिम रूप से आबंटित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु खंड (ख) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को, जिसको धारा 15 के उपबंध लागू होते हैं या किसी राज्य से प्रतिनियुक्ति पर किसी व्यक्ति को, लागू नहीं होगी।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह अवधारित करेगी कि क्या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में संघ के अधीन सेवा के लिए अंतिम रूप से आबंटित होगा और वह तारीख, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी कर्मचारी को अंतिम रूप से आबंटित करने वाले आदेश पारित करने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र, ऐसे विशेष या साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए जाएं, अपने नियंत्रण के अधीन सेवाओं में उसे एकीकृत करने के उपाय करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ ऋजु और साम्यापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन पर उचित विचार करने के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी:

परंतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम में उसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के विभाजन और एकीकरण से उद्भूत होने वाले विषयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश के प्रकाशन या तामील की तारीख से, जो भी पूर्ववर्ती हो, तीन मास की समाप्ति पर कोई अभ्यावेदन नहीं होगा:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी मामले पर पुन: विचार कर सकेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो उसे समुचित प्रतीत हों, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रभावित कर्मचारी के संबंध में घोर अन्याय का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

(5) इस धारा की कोई बात नियत दिन को या उसके पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले को नियत दिन के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यकलाप के संबंध में उपधारा (2) के अधीन आबंटित किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई सभी सेवा, उसकी सेवा की शर्तों की बाबत नियमो के प्रयोजनों के लिए दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के जिसको वह अंतिम रूप से आबंटित किया गया है, कार्यकलापों के संबंध में की गई समझी जाएगी।

(7) उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न इस धारा के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे धारा 16 के उपबंध लागू होते हो, लागू नहीं होंगे।

भाग 7

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

विधियों का विस्तार।

17. नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में विस्तारित या प्रवृत्त सभी विधियां, नियत दिन से, उन क्षेत्रों में, जहां वे ऐसी नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त थी, प्रवृत्त रहेंगी।

विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति।

18. धारा 17 द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसको लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए उस विधि का अर्थान्वयन ऐसी रीति से कर सकेगा, जो उसके सार पर प्रभाव न डालती हो और जो ऐसे न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी विषय के संबंध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो।

विधियों के अनुकूलन की शक्ति।

19. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में किसी विधि के लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व, आदेश द्वारा, ऐसी विधि में निरसन या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन हो और तब ऐसी प्रत्येक विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रभावी रहेगी जब तक उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

विधिक कार्यवाहियां।

20. जहां, इस अधिनियम के अधीन दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को नियत दिन के ठीक पहले अंतरित किसी संपत्ति, अधिकारों या दायित्वों के संबंध में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पक्षकार है तो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के स्थान पर, यथास्थिति, प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा या उसमें पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा और तद्नुसार कार्यवाहियां जारी रह सकेंगी।

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

21. (1) नियत दिन से ठीक पहले किसी क्षेत्र में, जो उस दिन को विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर आता है, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी।

(2) इस धारा में—

(क) "कार्यवाही" में वाद, मामले या अपील सम्मिलित हैं; और

(ख) "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:—

(i) न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाहियां प्रस्तुत की गई होती, यदि नियत दिन के पश्चात् कार्यवाहियां संस्थित की जाती, या

(ii) संदेह की दशा में, नियत दिन के पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा या नियत दिन से पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जो अवधारित किए जाएं, तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है।

अन्य विधियों से असंगत उपबंधों का प्रभावी होना।

22. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 48)

[13 दिसम्बर, 2019]

आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1959 का 54

2. आयुध अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप में जारी कोई अनुज्ञप्ति भी है;'।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में,—

(i) "तीन अग्न्यायुधों" शब्दों के स्थान पर, "दो अग्न्यायुध" शब्द रखें जाएंगे;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर दो से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई दो प्रतिधारित कर सकेगा और शेष

अग्न्यायुध को ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में जमा करेगा, जिसके पश्चात् पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय, दो अग्न्यायुध की सीमा को पार नहीं किया जाएगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) में, ''विनिर्माण करेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, ''किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित'' शब्दों के पश्चात् ''या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपविर्तित'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''अग्न्यायुध'' शब्द के स्थान पर, ''अग्न्यायुध या गोलाबारूद'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में,''प्वांइट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल'' शब्दों के स्थान पर, ''अग्न्यायुध'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में,—

(क) ''तीन वर्ष की कालावधि'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष की कालावधि'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि धारा 3 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी और अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को उस तारीख से, जिसको यह अनुदत्त या नवीकृत की जाए, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के समझ अग्न्यायुध या गोलाबारूद और संबंधित दस्तावेज सहित पेश करेगा।''।

धारा 25 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में, ''विनिर्माण'' शब्द के स्थान पर, ''विनिर्माण, अभिप्राप्त, उपाप्त,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, ''नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित'' शब्दों के पश्चात्, ''या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित'' शब्द और अंक अंत: स्थापित किए जाएंगे;

(ग) दीर्घ पंक्ति में ''जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी; किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1 क) में,—

(क) ''जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक ही हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु न्यायालय, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा।";

(iii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1कख) जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्न्यायुध छीन लेता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।";

(iv) उपधारा (1कक) में, "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (1ख) में,—

(क) दीर्घ पंक्ति में, "एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(vi)उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(6) यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(7) जो कोई, किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से,—

(i) धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माण करता है, अभिप्राप्त करता है, उपाप्त करता है, उसका विक्रय करता है या अंतरण करता है, उसको संपरिवर्तित करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी परख करता है या उसे परिसिद्ध करता है या अभिदर्शित करता है या विक्रय या अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए प्रस्थापित करता है; या

(ii) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की बैरल को छोटा करता है या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अग्न्यायुध को किसी अन्य प्रवर्ग के अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है; या

(iii) धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या विवरण के किसी भी आयुध या गोलाबारूद को भारत में लाता है या भारत से बाहर ले जाता है,

तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से, किसी संगठित अपराध संघ के सदस्य के रूप में या ऐसे संघ की ओर से हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों का प्रयोग करके, धनीय फायदे प्राप्त करने या स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए असम्यक् आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई भी निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(ख) "संगठित अपराध संघ" से दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो किसी संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं।

(8) जो कोई धारा (3), धारा (5), धारा (6), धारा (7) और धारा (11) के उल्लंघन में अग्न्यायुध और गोलाबारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित होता है या उसमें सहायता करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अवैध व्यापार" से भारत के राज्यक्षेत्र में, उससे या उसके भीतर अग्न्यायुध या गोलाबारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है, यदि अग्न्यायुध या गोलाबारूद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिह्नित नहीं हैं या जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दुर्व्यापार किया गया है, जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए, विदेश में बने अग्न्यायुध या प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोलाबारूद भी हैं।

(9) जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करता है जिससे मानव जीवन या किन्हीं अन्य की वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुष्ठानिक गोलाबारी" से जन सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोहों या अन्य उत्सवों में गोलाबारी करने के लिए अग्न्यायुध का प्रयोग करना अभिप्रेत है।'।

धारा 27 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) में, "मृत्युदंड से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 44 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (च) में,—

(क) "वह रीति, जिससे" शब्दों के स्थान पर, "वह रीति, जिसमें अग्न्यायुध या गोलाबारूद को खोज निकालने के लिए उनके" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "खोज निकालने" से अवैध विनिर्माण और अवैध व्यापार का पता लगाने, अन्वेषण करने और विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए विनिर्माता से क्रेता तक, अग्न्यायुध और गोलाबारूद की योजनाबद्ध खोज अभिप्रेत है;'।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 4)

[19 मार्च, 2020]

कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

संआ 22

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6— कर्नाटक में,—

(क) प्रविष्टि 38 में, "नायकडा, नायक" शब्दों के स्थान पर, "नायकडा, नायक (जिसके अंतर्गत परिवारा और तलवारा भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि 50 में, "(उत्तर कन्नड़ जिले में)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

डा॰ जी॰ नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—1340GI—11-08-2021.